राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-10) विभाग,

परिपत्र संख्या 10/80

जयपुर, जुलाई 17,1980

प्रेषिति:-

(1) पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।

(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट।

(3) समस्त पुलिस अधीक्षक।

(4) समस्त सहायक निदेशक, अभियोजन।

(5) समस्त सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी।

(6) समस्त सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(भ्र.नि.मा.)।

विषय:- **पुलिस व अभियोजन अधिकारियों के मध्य विचार गोष्ठियों के माध्यम से सहयोग।**

संदर्भ:- **परिपत्र क्रमांक प.25 (4) गृह-10/76 दिनांक 17.10.76**

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संदर्भित परिपत्र के अंतिम अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जावें:-

''भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से सम्बन्धित सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) को इस प्रकार की तिमाही समन्वय मीटिंग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक बुलायेंगे। मीटिंग की कार्यवाही नियमित रूप से अपर पुलिस महानिरीक्षक महोदय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर) को भेजी जावेगी जो फिर मीटिंग की कार्यवाही से निदेशक, अभियोजन को अवगत करायेंगे।''

भवदीय,

(बी.एल. मान्धना)

संयुक्त विधि परामर्शी(गृह) एवं

निदेशक, अभियोजन।